

वित्त विभाग से  
परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक-13-06-19

विषय:-राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Oral Polio Vaccine, Routine Immunization एवं RNTCP (kind Grant) मद में प्राप्त राज्यांश की राशि रुपये 1,00,56,84,000/- (एक अरब छप्पन लाख चौरासी हजार रुपये) सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-8295, दिनांक-27.02.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये NHM अन्तर्गत Oral Polio Vaccine, Routine Immunization एवं RNTCP (kind Grant) मद में प्राप्त समानुपातिक (60:40) राज्यांश मद में रुपये 1,00,56,84,000/- (एक अरब छप्पन लाख चौरासी हजार रुपये) पूर्व वर्ष 2018-19 के बकाया मद के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राज्यांश मद की राशि से उपलब्ध कराया जाना है ।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Oral Polio Vaccine, Routine Immunization एवं RNTCP (kind Grant) के मद से संबंधित आवंटनादेशों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है :-

Details of kind Grant fund received from Govt. of India				
S.N	Letter no & date	Amount (Central Shares) 60%	State Shares 40%	Total
<b>Oral Polio Vaccine</b>				
1	T.13020/09/2016-Imm(87), 26-09-18	1680000	1120000	2800000
2	T.13020/09/2016-Imm(86), 26-09-18	20881000	13920667	34801667
3	T.13020/09/2016-Imm(82), 26-09-18	108685000	72456667	181141667
	<b>Total (A)</b>	<b>131246000</b>	<b>87497333</b>	<b>218743333</b>
<b>Routine Immunization</b>				
4	T.22020/04/2015-CC&V(2), 07-06-18	5303000	3535333	8838333
5	T.22020/04/2015-CC&V(1), 07-06-18	343097000	228731333	571828333
6	T.22020/04/2015-CC&V(4), 07-06-18	93524000	62349333	155873333
7	T.22020/04/2015-CC&V(5), 07-06-18	1450000	966667	2416667
8	T.22020/04/2015-CC&V(8), 07-06-18	7250000	4833333	12083333
9	T.22020/04/2015-CC&V(18), 07-06-18	1003000	668667	1671667
10	T.22020/04/2015-CC&V(24), 08-06-18	1811000	1207333	3018333
11	T.22020/04/2015-CC&V(17), 07-06-18	12473000	8315333	20788333
12	T.22020/04/2015-CC&V(23), 08-06-18	22516000	15010667	37526667

13	T.22020/04/2015-CC&V(14), 07-06-18	40351000	26900667	67251667
14	T.22020/04/2015-CC&V(16), 07-06-18	64920000	43280000	108200000
15	T.22020/04/2015-CC&V(22), 08-06-18	117193000	78128667	195321667
16	T.22020/04/2015-CC&V(93), 28-09-18	194000	129333	323333
17	T.22020/04/2015-CC&V(91), 28-09-18	2416000	1610667	4026667
18	T.22020/04/2015-CC&V(52), 13-08-18	378000	252000	630000
19	T.22020/04/2015-CC&V(46), 08-08-18	1121000	747333	1868333
20	T.22020/04/2015-CC&V(50), 13-08-18	4698000	3132000	7830000
21	T.22020/04/2015-CC&V(88), 28-09-18	12574000	8382667	20956667
22	T.22020/04/2015-CC&V(45), 08-08-18	13940000	9293333	23233333
23	T.22020/04/2015-CC&V(58), 27-08-18	1871000	1247333	3118333
24	T.22020/04/2015-CC&V(58), 27-08-18	23257000	15504667	38761667
25	T.22020/04/2015-CC&V(47), 10-08-18	24450000	16300000	40750000
26	T.22020/04/2015-CC&V(81), 26-09-18	29728000	19818667	49546667
27	T.22020/04/2015-CC&V(53), 27-08-18	121051000	80700667	201751667
28	T.22020/04/2015-CC&V(77), 26-09-18	154730000	103153333	257883333
29	T.22020/04/2015-CC&V(41), 08-08-18	72555000	48370000	120925000
30	T.22020/04/2015-CC&V(113), 06-12-2018	68000	45333	113333
31	T.22020/04/2015-CC&V(112), 14-12-2018	848000	565333	1413333
32	T.22020/04/2015-CC&V(108), 16-11-2018	821000	547333	1368333
33	T.22020/04/2015-CC&V(109), 06-12-2018	4416000	2944000	7360000
34	T.22020/04/2015-CC&V(107), 16-11-2018	10202000	6801333	17003333
35	T.22020/04/2015-CC&V(115), 06-12-2018	2392000	1594667	3986667
36	T.22020/04/2015-CC&V(114), 06-12-2018	53102000	35401333	88503333
	<b>Total (B)</b>	<b>1245703000</b>	<b>830468667</b>	<b>2076171667</b>
	<b>RNTCP</b>			
37	Z.28015/144/2012-TB(Vol.VI),07-07-18	18128000	12085333	30213333
38	Z.28015/144/2012-TB, 26-09-18	5372000	3581333	8953333
39	Z.28015/144/2012-TB, 28-12-18	37038000	24692000	61730000
40	Z.28015/144/2012-TB, 28-12-18	71039000	47359334	118398334
	<b>Total (C)</b>	<b>131577000</b>	<b>87718000</b>	<b>219295000</b>
	<b>Total (A+B+C)</b>	<b>1508526000</b>	<b>1005684000</b>	<b>2514210000</b>

3. राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(ख) राज्यांश:-

(i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 0303-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि रुपये 2,20,20,00,000/-में से रुपये 1,00,00,00,000/- (एक अरब रुपये) से विकलनीय होगा।

(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-0319- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017960319, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 1,05,00,000/-में से रुपये 56,84,000/- (छप्पन लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ करायेगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेगे।

6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट) के पृष्ठ-.../149/टि0 पर प्राप्त है।

10. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी।

11. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट)-.....138.....(10) /स्वा0, पटना, दिनांक- 13 -06 -19

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी(compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं0-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी(compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं0-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, VBD Section, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं प्रशाखा-10 के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।  
*(Signature)*